[2019] 18 एस. सी. आर 924

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

वी.

एल. ए. एफ. ए. आर. जी. डीलर्स एसोसिएशन और अन्य

(2019 की सिविल अपील संख्या 5302)

09 जुलाई, 2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, एस. अब्दुल नजीर और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

कराधान बिक्री कर-मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000। 78 , 79 , 80 , 85 और 86-पूर्ववर्ती एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य का दो राज्यों में विभाजन, अर्थात् मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ में एक पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य और नया छत्तीसगढ़ राज्य-लागू नियमों के साथ पठित मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के तहत दिए गए बिक्री कर के स्थगन की छूट या लाभ पर प्रभाव। 78 - क्या औद्योगिक इकाइयाँ, जिन्हें छूट दी गई थी और जो विभाजन के बाद में स्थित थीं

जिस राज्य में वे स्थित हैं, उस राज्य से नए छत्तीसगढ़ राज्य या पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य में अंतर-राज्य लेनदेन करते समय दूसरे राज्य में कर का स्थगन, जैसे - मामला हो सकता है-- आयोजितः : नहीं नहीं-एस का दूसरा भाग। 78 इसमें एक काल्पनिक कथा शामिल है, जिसका प्रभाव यह है कि पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित कानून जारी रहेंगे।

नए राज्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों में लागू करें

और पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य भी, लेकिन उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर-एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य में लागू अधिनियम या कानून लागू होते रहेंगे। दो राज्य, एक या एक ही अधिनियम या कानून के रूप में नहीं, बल्कि दो अलग-अलग अधिनियमों या कानूनों के रूप में जो दो अलग-अलग राज्यों पर लागू होते हैं- 1 नवंबर, 2000 की निर्धारित तिथि को और उससे मध्य प्रदेश राज्य और इसके विपरीत छत्तीसगढ़ राज्य के बीच कोई भी व्यापार अंतर-राज्य व्यापार होगा, न कि अंतर-राज्य व्यापार।

कहीं भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि व्यापार दोनों राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय व्यापार के बजाय अंतर-राज्यीय व्यापार बना रहेगा-वास्तव में, उक्त प्रभाव के लिए कोई भी काल्पनिक धारणा विफल हो गई होगी।

और यह कला के विपरीत होगा। 286 मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994-मध्य प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1958-जैसा कि 16 सितंबर, 2016 को संशोधन से पहले था। धारा 12-केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 - धारा 8 (5)-भारत का संविधान-Art.286 (16-09-16 पर संशोधन से पहले)-कानूनी कल्पना

-

प्रावधान माना जा रहा है।

कराधान-अंतर-राज्य बिक्री-राज्यों का पुनर्गठन -

एक राज्य से दो नए उत्तराधिकारी राज्यों का निर्माण-प्रभाव-आयोजितः एक नए राज्य का निर्माण असामान्य स्थितियों को जन्म दे सकता है, लेकिन यह दो उत्तराधिकारी राज्यों के बीच अंतर-राज्य बिक्री को अंतर-राज्य बिक्री के रूप में मानने का आधार और कारण नहीं हो सकता है-यह संविधान और यहां तक कि संविधि यानी पुनर्गठन अधिनियम के विपरीत होगा।

जब भी एक नया राज्य बनाया जाता है, तो कठिनाइयाँ होती हैं और,

मुद्दे उठेंगे लेकिन इन्हें संवैधानिक प्रावधानों और कानून के मापदंडों के भीतर निपटाया जाना चाहिए, न कि संसद के जनादेश को नकारकर, जिसने नए राजनीतिक राज्य के निर्माण के संविधान के Art.3 के संदर्भ में नया राज्य बनाया है।

पूर्ण कानूनी प्रभाव दिया जाना चाहिए-भारत का संविधान-- Art.3।

राज्यों का पुनः संगठन में कानूनों की निरंतरता का सिद्धांत

पुनर्गठन के बाद या बाद में नया राज्य-आयोजितः "स्वच्छ राज्य" का सिद्धांत, जैसा कि राज्य उत्तराधिकार के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौजूद है, जिसका अर्थ है कि उत्तराधिकारी राज्य को आम तौर पर पूर्ववर्ती राज्य के पूर्व संधि दायित्वों या अधिकारों का उत्तराधिकार नहीं मिलता है, उन क्षेत्रों के समायोजन से अलग है जो संसद द्वारा किए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। 3 – पुनर्गठित राज्य आमतौर पर तबूल रस के रूप में शुरू नहीं होते हैं, बल्कि वे पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती राज्य पुनर्गठन अधिनियम (ओं) के उत्तराधिकारी होते हैं, जिनमें समान रूप से ऐसे प्रावधान होते हैं जो इस हद तक एक कानूनी कल्पना पैदा करते हैं कि राज्य के पुनर्गठन से राज्य के गठन से पहले और बाद में भी इसके भीतर शामिल सभी क्षेत्रों में कानूनों की प्रयोज्यता प्रभावित नहीं होगी।

पुनर्गठन-हालाँकि, यह एक अन्य उक्ति/नियम के अधीन है कि क्षेत्रों पर पहले से लागू मौजूदा कानून नए राज्य पर तब तक लागू होंगे जब तक कि नया राज्य निरसन या संशोधन के माध्यम से कानून के अनुकूलन या संशोधन का प्रावधान नहीं करता है।

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000-एस. 78 और 79

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 एस. 84 और 85-सिद्धांत / सिद्धांत-कानूनों की निरंतरता का सिद्धांत-"क्लीन स्लेट" का सिद्धांत

भारत का संविधान-Art.3।

-

[2019] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 - एस. 85-पुनर्गठन के प्रावधानों को दी गई प्रधानता का अर्थ और प्रभाव

एस के संदर्भ में कार्य करें। 85 – आयोजित किया गयाः पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 में कहा गया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

किसी भी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद, पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर प्रधानता दी गई है-हालांकि, इस प्रधानता का उद्देश्य उत्तराधिकारी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य (पूर्ववर्ती एकीकृत राज्य मध्य प्रदेश से) के निर्माण के परिणामस्वरूप संविधान द्वारा परिकल्पित कानूनी प्रभाव को नकारना और खत्म करना नहीं है, जो अब से अलग होंगे।

सरकार (ओं) जिसमें विभिन्न विधायिका और कार्यपालिका शामिल हैं।

विधानों की व्याख्या-समान सामग्री प्रावधान-बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000-एस. 84 और 85-बिहार के पूर्ववर्ती एकीकृत राज्य का दो राज्यों में विभाजन, अर्थात् बिहार का एक पुनर्गठित राज्य और झारखंड का नया राज्य-एस. एस. का प्रभाव और व्याख्या। 84 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 जो एस. एस. के अनुरूप है। 78 और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79 - एसएस का प्रभाव। 84 और बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 एकीकृत बिहार राज्य द्वारा नए झारखंड राज्य में अधिनियमित कानूनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए थी, जो उन क्षेत्रों के हस्तांतरण द्वारा बनाए गए थे जो पहले बिहार राज्य का हिस्सा थे। 84 बिहार पुनर्गठन अधिनियम-उक्त कल्पना यह नहीं मानती है और इसे यह कल्पना करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि बिक्री लेनदेन के उद्देश्य से या यहां तक कि अन्य उद्देश्यों के लिए, नए राज्य का एक अलग राज्य के रूप में कोई राजनीतिक और संवैधानिक अस्तित्व नहीं था और जब तक एक नया कानून लागू नहीं किया गया था, तब तक दोनों राज्य

पुनर्गठन से पहले एक राजनीतिक राज्य के रूप में माना जाना था-बिक्री लेनदेन जो अब तक एकीकृत बिहार राज्य के भीतर अंतर-राज्य बिक्री थे, दो नए राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अंतर-राज्य लेनदेन बन जाएंगे-मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 एस। 78 और 79.

कानूनी कल्पना-प्रावधान मानना-उद्देश्य और उद्देश्य आयोजितः एक डीमिंग प्रावधान उन उद्देश्यों के लिए प्रभावी है जिनके लिए इसे बनाया गया है और न्यायालय को सावधान रहना चाहिए कि इस कल्पना को वैध क्षेत्र और उन उद्देश्यों से परे न बढ़ाया जाए जिनके लिए विधायिका ने कल्पना को अपनाया था-कल्पना बनाने के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश v. लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन

शब्द और वाक्यांश 'अंतर-राज्य' व्यापार-अर्थ

-

'अंतर-राज्य' और 'अंतर-राज्य' बिक्री के बीच अंतर-आयोजितः कला के अनुसार। 286 संविधान के अनुसार, राज्य 'अंतर-राज्यीय बिक्री' के कराधान से संबंधित कोई भी कानून बनाने में सक्षम नहीं हैं -

अभिव्यक्ति 'अंतर-राज्य' व्यापार का विशिष्ट कानूनी अर्थ और अर्थ है-यह एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के हस्तांतरण या आवाजाही को संदर्भित करता है-कराधान-भारत का बिक्री कर संविधान, 1950-अनुच्छेद। 286 (16-09-16) पर संशोधन से पहले।

अभ्यास और प्रक्रिया-नई याचिका-द्वारा उठाया गया तर्क

सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार निजी पक्षकारों/निर्धारिती-उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में या यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अभिवचनों में भी विवाद नहीं उठाया गया था-सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया और इसे निजी पक्षों/निर्धारिती के लिए खुला छोड़ दिया ताकि वे उच्च न्यायालय में अधिकारियों के समक्ष याचिका उठा सकें।

कानून के तहत उचित कार्यवाही-कराधान कराधान बिक्री कर -

अंतर-राज्य लेनदेन।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . यह दोनों राज्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि

नियत दिन से नया छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आ गया था और इसलिए अब छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों और पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के बीच व्यापार निम्न प्रकार का होगा -

अंतर-राज्य बिक्री और अंतर-राज्य बिक्री नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि बिक्री कर अधिनियम जैसा कि पहले एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य पर लागू होता था, पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य और नए छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा, लेकिन दोनों राज्यों की क्षेत्रीय सीमाओं और सीमाओं के भीतर। तदनुसार,

दोनों राज्यों द्वारा यह तर्क दिया गया कि पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य और नए छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं/सीमाओं के भीतर स्थित इकाइयों को विशेष राज्य के भीतर अंतर-राज्य व्यापार के संबंध में छूट का लाभ मिलता रहेगा, न कि दोनों राज्यों के बीच अंतर-राज्य व्यापार के संबंध में। मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लिया गया रुख सही है और मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 78,79,80,85 और 86 के संदर्भ में मामले पर विचार करने पर स्वीकृति के योग्य है।

[पारस 13 और 14] [946-डी-एच] [2019] 18 एस. सी. आर.

1.2 . मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के दो भाग हैं। प्रथम भाग में कहा गया है कि

यह नहीं माना जाएगा कि पुनर्गठन अधिनियम ने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित किया है जिन पर निर्धारित तिथि से तुरंत पहले लागू कोई कानून विस्तारित या लागू होता है। दूसरे शब्दों में, नियत तिथि से पहले लागू कानून, जो वर्तमान मामले में 1 नवंबर, 2000 है, मध्य प्रदेश के उत्तराधिकारी या पुनर्गठित राज्य पर लागू होता रहेगा जैसा कि विभाजन से पहले मौजूद था। यह स्वाभाविक और सामान्य है क्योंकि मध्य राज्य की विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अधिनियमित कानून

प्रदेश स्पष्ट रूप से इसके पुनर्गठन/विभाजन के बाद इसका हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों पर लागू होगा। हालाँकि, धारा 78 के दूसरे भाग में एक काल्पनिक कल्पना को शामिल किया गया है जब यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में ऐसे कानून के क्षेत्रीय संदर्भ, यानी विभाजन से पहले मध्य प्रदेश राज्य के विधानमंडल और कार्यपालिका द्वारा अधिनियमित कानून, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अन्यथा न हो।

सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अर्थ को इसके भीतर के क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा

दो अलग-अलग राज्यों पर लागू होने वाले अधिनियम या कानून। [पैरा 14] [947-ए-एफ] 1.3 . डीमिंग फिक्शन को मध्य प्रदेश पुनर्गठन की धारा 78 के दूसरे भाग के उद्देश्य से शामिल किया गया है।

अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि जो क्षेत्र पहले मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा हैं, वे पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बने रहेंगे या जिन्हें इस रूप में माना जाना चाहिएः दूसरे राज्य का भाग और अंश। धारा 78 मे ई अभिनिर्धारित नहि कयल गेल अछि। धारा 78 के संदर्भ में कल्पना को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा विस्तारित नहीं करता है और इसमें ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं है। वास्तव में, यह दूर से भी नहीं देखा जा सकता है। एक डीमिंग प्रावधान उन उद्देश्यों के लिए प्रभावी है जिनके लिए इसे बनाया गया है और न्यायालय को सावधान रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश राज्य का विस्तार न हो।

लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन

यह कल्पना वैध क्षेत्र और उन उद्देश्यों से परे है जिनके लिए विधायिका ने कल्पना को अपनाया था। कथा निर्माण के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान में

अधिनियमन, पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 में परिकल्पित डीमिंग प्रावधान का उद्देश्य और उद्देश्य अधिनियम/कानूनों के प्रवर्तन तक सीमित और सीमित है क्योंकि वे एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य में नए राज्य में मौजूद थे।

छत्तीसगढ़, और इससे आगे और कुछ नहीं। [पैरा 15] [947-जी-एच; 948-ए-सी]

1.4 . मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79 में कहा गया है कि पुनर्गठित राज्य की उपयुक्त सरकार

मध्य प्रदेश और नया छत्तीसगढ़ राज्य, नियत तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले, एक आदेश द्वारा, जो आवश्यक या समीचीन हो, निरसन या संशोधन के माध्यम से एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य में अधिनियमित पूर्व कानूनों में ऐसे अनुकूलन या संशोधन कर सकते हैं। तत्पश्चात, प्रत्येक कानून का प्रभाव अनुकूलन के अधीन होगा या

सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए संशोधन, जब तक कि आगे निरस्त, संशोधित या संशोधित नहीं किए जाते। उक्त खंड के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि

किसी भी कानून के संबंध में 'सरकार' का अर्थ है संघ सूची में उल्लिखित मामलों के संबंध में और किसी राज्य, राज्य सरकार को लागू होने वाले किसी कानून के संबंध में केंद्र सरकार। [पैरा 16] [948-सी-ई]

1.5 . मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 80 द्वारा बनाए गए कानूनों के निर्माण या व्याख्या से संबंधित है।

नियत तिथि से पहले मध्य प्रदेश राज्य। इसमें कहा गया है कि इसके बावजूद कि धारा 79 के संदर्भ में कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है, न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण एकीकृत राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों की व्याख्या करता है। मध्य प्रदेश इस कानून का इस तरह से अर्थ निकालेगा कि इसका उपयोग बिना किसी प्रभाव के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तराधिकारी राज्यों में किया जा सके। दूसरे शब्दों में, न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण कानूनों की व्याख्या करते समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तराधिकारी राज्यों के संबंध में कानूनों के अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य और उद्देश्य के आधार पर काम करेगा, इस तथ्य के बावजूद कि मध्य प्रदेश और [2019] 18 एस. सी. आर. राज्यों पर लागू कानूनों के संबंध में विधायिका या सक्षम प्राधिकारी।

1.6 . मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 में कहा गया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे। किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद। इसलिए, पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर प्रधानता दी गई है। हालाँकि, यह प्रधानता उत्तराधिकारी राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप संविधान द्वारा परिकल्पित कानूनी प्रभाव को नकारने और खत्म करने के लिए नहीं है।

अब से अलग-अलग विधायिका और कार्यपालिका वाली अलग-अलग सरकारें हैं। 1 नवंबर, 2000 की निर्धारित तिथि को और उसके बाद से छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के बीच कोई भी व्यापार अंतर-राज्य व्यापार होगा, न कि अंतर-राज्य व्यापार। काल्पनिक कल्पना और पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान कहीं भी यह नहीं मानते हैं कि व्यापार दोनों राज्यों के बीच अंतर-राज्य व्यापार नहीं, बल्कि अंतर-राज्य व्यापार बना रहेगा। वास्तव में, उक्त प्रभाव की कोई भी कल्पना गलत साबित होती और यह संविधान के अनुच्छेद 286 के विपरीत होती, जैसा कि 16 सितंबर, 2016 को संशोधन से पहले था। [पैरा 18] [949-बी-डी]

1.7 . संविधान के अनुच्छेद 286 के अनुसार (जैसा कि यह 16 सितंबर, 2016 को संशोधन से पहले था), राज्य सक्षम नहीं हैं।

अंतर-राज्य के कराधान से संबंधित कोई विधान अधिनियमित करना।

बिक्री '। 'अंतर-राज्य' व्यापार अभिव्यक्ति का विशिष्ट कानूनी अर्थ और अर्थ है। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में माल के हस्तांतरण या आवाजाही को संदर्भित करता है। ऐसे लेन-देन, इसके बावजूद कि बिक्री की स्थिति अनिवार्य रूप से एक निश्चित स्थान पर होगी, अंतर-राज्य बिक्री या व्यापार है न कि अंतर-राज्य बिक्री या व्यापार। इस प्रकार, जब दोनों राज्यों के बीच स्वामित्व हस्तांतरण के बिना माल की आवाजाही होती है

प्रेषक या प्रेषक, के साथ अनुपालन करना होगा

ऐसे अंतर-राज्यीय लेन-देनों पर लागू प्रासंगिक कानून। यह स्थिति अच्छी रहेगी और नए राज्य छत्तीसगढ़ और पुनर्गठित राज्य मध्य प्रदेश के बीच अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में समान रूप से लागू होगी। द.

एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति में है। तथ्य यह है कि दो अलग-अलग राज्यों का गठन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य v.

लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन

विभाजन के बाद, जो कभी बिक्री कर लगाने के उद्देश्य से एक एकल इकाई थी, इसका कोई परिणाम नहीं होगा ताकि कानूनी और संवैधानिक प्रभाव को बाधित किया जा सके। अलग-अलग राज्य बनाए गए और अंतर-राज्य लेनदेन के अंतर-राज्यीय चरित्र के संबंध में अनुच्छेद 286 का कानूनी प्रभाव पड़ा। [पैरा 18] [950-सी-ई]

1.8 . मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 86 में कहा गया है कि यदि इसे लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ भी आवश्यक और समीचीन कर सकता है। हालाँकि, ऐसा आदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो सकता है। प्रावधान में कहा गया है कि नियुक्त व्यक्ति से तीन साल की समाप्ति के बाद कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

तिथि। [पैरा 19] [950-एफ-जी]

2.1 . बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 और 85 (जो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 1 और 79 के अनुरूप हैं) का प्रभाव एकीकृत राज्य बिहार द्वारा नए राज्य झारखंड में अधिनियमित कानूनों की निरंतरता सुनिश्चित करना था, जो उन क्षेत्रों के हस्तांतरण द्वारा बनाए गए थे जो पहले बिहार राज्य का हिस्सा थे। इन अनुभागों में एक काल्पनिक कल्पना को शामिल किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नया झारखंड राज्य पहले से मौजूद कानूनों द्वारा शासित होता रहेगा, अन्यथा, एक अव्यवस्थित और अराजक स्थिति होगी जहां नया राज्य किसी भी कानून द्वारा शासित नहीं होगा। यह बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पना का वास्तविक प्रभाव है, यानी राज्य के पुनर्गठन से पुनर्गठन से पहले और बाद में भी इसके भीतर शामिल सभी क्षेत्रों में राज्य में मौजूदा कानूनों की प्रयोज्यता प्रभावित नहीं होगी। उक्त कल्पना अभिधारणा नहीं है और यह कल्पना करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि बिक्री लेनदेन के उद्देश्य के लिए

या अन्य उद्देश्यों के लिए भी, नए राज्य का एक अलग राज्य के रूप में कोई राजनीतिक और संवैधानिक अस्तित्व नहीं था और जब तक कि

नया कानून बनाया गया, दोनों राज्यों को एक राजनीतिक राज्य के रूप में माना जाना था जैसा कि पुनर्गठन से पहले था। बिक्री लेनदेन जो अब तक एकीकृत बिहार राज्य के भीतर अंतर-राज्य बिक्री थे, दोनों नए राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अंतर-राज्य लेनदेन बन जाएंगे। प्रावधानों में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि इस तरह के लेन-देन जारी रहेंगे नए राज्य के निर्माण के बावजूद अंतर-राज्य लेनदेन के रूप में माना जाता है। [पैरा 23] [954-जी-एच; 955-ए-डी] [2019] 18 एस. सी. आर.

2.2 . एक नए राज्य का निर्माण एक अप्रत्याशित घटना थी और

असामान्य स्थितियों को जन्म दे सकता है, लेकिन यह दो उत्तराधिकारी राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय बिक्री को अंतर-राज्यीय बिक्री के रूप में मानने का आधार और कारण नहीं हो सकता है। यह संविधान और यहां तक कि संविधि यानी पुनर्गठन अधिनियम के विपरीत होगा।

जब भी एक नया राज्य बनाया जाता है, तो कठिनाइयाँ होती हैं और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन इन्हें राज्य के भीतर ही निपटाना पड़ता है।

संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में नए राज्य का निर्माण करने वाली संसद के जनादेश को नकार कर नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रावधानों और कानून के मापदंडों को लागू करके। की रचना नए राजनीतिक राज्य को पूर्ण कानूनी प्रभाव दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत अवलोकन और अनुपात स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल्स प्राइवेट लिमिटेड में अनुच्छेद 29 और 30 में दर्ज किया गया है। लिमिटेड के मामले को ऊपर स्पष्ट और समझाई गई कानूनी स्थिति के आलोक में खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 24] [955 डी-एफ]

वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची और अन्य

वी. स्वार्म रेखा कोक्स एंड कोल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड (2004) 6

एस. सी. सी. 689 [2004] 2 पूरक। एस. सी. आर. 633-खारिज।

एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य

और एक अन्य AIR 1958 SC 468 [1958] SCR 1422 -

पीछा किया।

रंजन सिन्हा और एक अन्य वी। अजय कुमार विश्वकर्मा

और अन्य (2017) 14 एससीसी 774: [2017] 7 एससीआर 194

और बी. एस. गोराया बनाम। यू. टी. चंडीगढ़ (2007) 6 एस. सी. सी.

श्री पीरा मोहम्मद बी. एस. महमूद साहब बनाम। द. आंध्र प्रदेश राज्य 1960 (11) एस. टी. सी. 456-पुष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[2004] 2 पूरक। एससीआर 633

खारिज कर दिया गया

पैरा 4

पैरा

13

पुष्टि की

1960 (11) एसटीसी 456

[2007] 8 एससीआर 458

उस पर भरोसा करें

पैरा

15

[2017] 7 एससीआर 194

उस पर भरोसा करें

पैरा

20

[1958] एससीआर 1422

पीछा किया।

पैरा 21 मध्य प्रदेश राज्य v. लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5302

2019 से।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 16.07.2012 के निर्णय और आदेश से, लिखित याचिका संख्या 5308 में जबलपुर में प्रधान पीठ

2004 (0)।

के साथ

सिविल अपील सं। 461 , 460 , 7073 2005 का 2343,2007 का 5303,5304,5305,5306,5308 और 2019 का 5307।

विवेक के. तन्खा, एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता। , हर्ष पराशर, अमन पांडे, भारत संगल, सुश्री अनिंदिता डेका, सुश्री बबीता कुशवाहा,

नवनीत कुमार (एम/एस के लिए। कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप), रोहित घोष, श्रीमती बीना गुप्ता, क्षितिज वैभव, अक्षत श्रीवास्तव, सुश्री पूजा श्रीवास्तव, सुश्री मंजीत कृपाल, सनी चौधरी, राहुल कौशिक, निशांत पाटिल, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एस. बंथिया, अधिवक्ता। पार्टियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति दी जाती है।

2. यह निर्णय मध्य राज्य के विभाजन के कानूनी प्रभाव से संबंधित पूर्व-शीर्षक वाली अपीलों का निपटारा करेगा।

मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में शामिल किया गया।

(" मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के तहत लागू नियमों के साथ पठित बिक्री कर के स्थगन की छूट या लाभ पर पुनर्गठन अधिनियम ", संक्षेप में)। इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य में और नए छत्तीसगढ़ राज्य के तहत औद्योगिक इकाई दोनों राज्यों में विभाजन के बाद भी इस तरह की छूट या स्थगन का लाभ उठाती रहेगी, चाहे औद्योगिक इकाई का स्थान दोनों राज्यों में से किसी एक में हो।

3. सिविल अपील सं। 460 , 461 , 7073 2005 का और 2007 का 2343 मध्य प्रदेश की खंड पीठ के निर्णयों से उत्पन्न होता है।

उच्च न्यायालय, जबलपुर पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए सीमेंट के निर्माता/डीलर द्वारा रिट याचिका को खारिज करते हुए लिखा कि पुनर्गठन अधिनियम के प्रवर्तन पर, दो अलग-अलग राज्य अर्थात्। , मध्य प्रदेश राज्य और [2019] 18 एस. सी. आर.

छत्तीसगढ़ भारत के संविधान द्वारा अभिनिर्धारित रूप से अस्तित्व में आया था और इसलिए, बिक्री कर की छूट या स्थगन का लाभ उस राज्य की सीमाओं/सीमाओं तक सीमित और सीमित होगा जिसमें इकाई स्थित थी और राज्य की सीमा से परे काम नहीं करेगी। यह देखा गया कि दोनों राज्यों के बीच माल का कोई भी व्यापार और आवाजाही अंतर-राज्य व्यापार होगा न कि अंतर-राज्य व्यापार और पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों ने इस कानूनी स्थिति को नहीं हटाया और ग्रहण नहीं किया, बल्कि मध्य प्रदेश राज्य में लागू कानूनों को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए समान रूप से लागू करने के लिए सीमित प्रभाव डाला।

4. विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न होने वाली अपीलों का अन्य समूह

(सिविल) सं। 10520 2013 के 1334,10165,2014 के 23297,2016 के 6729 और 16550 को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्राथमिकता दी गई है और छत्तीसगढ़ राज्य ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों पर आपत्ति जताई है, जो वाणिज्यिक कर आयुक्त, रांची में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए हैं और एक अन्य v. स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और अन्य 1 ने एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि दोनों राज्यों के निर्माण के बावजूद, छूट

या विभाजन से पहले जारी कर अधिसूचनाओं का स्थगन नए राज्य में लागू होता रहेगा और बिक्री कर के उद्देश्य से, दोनों राज्यों को कानूनी कल्पना के कारण एक माना गया था।

पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 और 79 द्वारा परिकल्पित। 5. इस स्तर पर यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस न्यायालय की एक खंड पीठ (अशोक भान और वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.) आदेश देखें

दिनांक 12 सितंबर, 2007 ने कहा था कि कानून के कुछ तथ्य और प्रावधान जिन पर स्वर्ण रेखा के मामले (उपरोक्त) में ध्यान नहीं दिया गया था, वे सामने आए थे और इसलिए उन्होंने अपीलों को विचार के लिए एक बड़ी पीठ को भेजना उचित समझा था।

6. प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले, निर्विवाद स्थिति पर ध्यान देना और उसे दर्ज करना उचित होगा। मध्य प्रदेश राज्य धारा 12 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

मध्य प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1958 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 (5) (सुविधा के लिए हम दोनों अधिनियमों को "बिक्री कर अधिनियम" के रूप में संदर्भित करेंगे), निवेशकों को आकर्षित करने और राज्य में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना के माध्यम से उन औद्योगिक इकाइयों को बिक्री कर छूट देने के लिए एक नीति तैयार की गई थी जिनकी अचल संपत्ति रु। 100

1 (2004) 6 एस. सी. सी. 689 मध्य प्रदेश राज्य बनाम। लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

7. राज्य के विभाजन के बाद एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य में स्थित निजी पक्षों/निर्धारिती से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ पुनर्गठन अधिनियम की शर्तें अनिवार्य रूप से इस क्षेत्र में आती हैं /

पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य या नए छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बनने वाली सीमा। जैसा कि ऊपर देखा गया है, हमारे सामने सटीक मुद्दा यह है कि क्या ये औद्योगिक इकाइयाँ, जिन्हें छूट दी गई थी और जो पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य या नए छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभाजन के बाद थीं, उन्हें दूसरे राज्य में कर की छूट/स्थगन का लाभ मिलता रहेगा, जबकि वे जिस राज्य में स्थित हैं, उससे नए छत्तीसगढ़ राज्य या पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य में अंतर-राज्य लेनदेन (लेनदेन) करते रहेंगे, जैसा भी मामला हो।

8. इससे पहले कि हम संबंधित विवादों पर ध्यान दें और अपने कारणों को विस्तृत करें, पुनर्गठन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। धारा 2 (ई), (एफ), (जे) और (के), धारा 3,4 और 5 और धारा 78,79,80,85 और 86 (1) जो निम्नानुसार हैं:

" पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 (ई), (एफ), (आई) और (के)

भाग I

प्रारम्भिक

2. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,

XX

XX

XX

(ङ) "मध्य प्रदेश का विद्यमान राज्य" से नियत दिन से ठीक पहले विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(च) "कानून" में कोई भी अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन, आदेश, उप-कानून, नियम, योजना, अधिसूचना या अन्य लिखत शामिल है, जिसमें [2019] 18 एस. सी. आर. है।

नियत दिन से ठीक पहले, कानून का बल संपूर्ण या मौजूदा मध्य प्रदेश राज्य के किसी भी हिस्से में;

XX

XX

XX

प्रदेश, का अर्थ है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य; (के) "हस्तांतरित क्षेत्र" का अर्थ है वह क्षेत्र जो

नियुक्त दिवस वर्तमान मध्य राज्य से स्थानांतरित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रदेश;

पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3,4 और 5

भाग-II

मध्य प्रदेश राज्य का संगठन

3. छत्तीसगढ़ राज्य का गठन। में और से नियत दिन, एक नया राज्य बनाया जाएगा जिसे के रूप में जाना जाएगा

छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं -

मध्य प्रदेश का वर्तमान राज्य, अर्थात्:

जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव और सरगुजा जिले और उसके बाद

उक्त क्षेत्र मौजूदा राज्य का हिस्सा बनना बंद कर देंगे

मध्य प्रदेश।

4. मध्य प्रदेश राज्य और क्षेत्रीय प्रभाग

प्रदेश में मौजूदा राज्य के क्षेत्र शामिल होंगे - धारा 3 में निर्दिष्ट लोगों के अलावा मध्य प्रदेश।

5. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

नियत दिन से पहली अनुसूची में

संविधान, "आई. द स्टेट्स" शीर्षक के तहत,

(क) मध्य राज्य के क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद में

प्रदेश, शब्दों, कोष्ठकों और आकृतियों के बाद, "राजस्थान" और मध्य प्रदेश (क्षेत्रों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1959

1959) " , निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

" लेकिन मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर।

; ई स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश v. लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

(ख) प्रविष्टि 25 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रविष्ट की जाएगी, अर्थात्: " 26. छत्तीसगढ़: मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्र।

पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78,79,80,85 और 86

भाग एक्स

कानूनी और भ्रामक प्रावधान

78. कानूनों की क्षेत्रीय सीमा। यह नहीं माना जाएगा कि इस अधिनियम के भाग 2 के प्रावधानों ने उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन किया है जिन पर इससे ठीक पहले कोई कानून लागू था। नियत दिन का विस्तार होता है या लागू होता है, और मध्य प्रदेश राज्य के लिए ऐसी किसी भी कानून में क्षेत्रीय संदर्भों को, जब तक कि किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक नियत दिन से पहले वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के भीतर के क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा।

79. कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति। सुविधा प्रदान करने के लिए

सरकार। 80. कानून बनाने की शक्ति। - इसके बावजूद कि नियत दिन से पहले बनाई गई कानून के अनुकूलन के लिए धारा 79 के तहत कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है, कोई भी अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण, जो ऐसी कानून को लागू करने के लिए आवश्यक या सशक्त है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अपने आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, पदार्थ को प्रभावित किए बिना, इस तरह से कानून का अर्थ लगा सकता है, जो आवश्यक हो [2019] 18 एस. सी. आर.

85. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ असंगत प्रावधानों का प्रभाव

कानून। इस अधिनियम का प्रावधान किसी अन्य कानून में इसके अनुरूप कुछ भी होने के बावजूद प्रभावी होगा।

86. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। — (1) यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, कुछ भी ऐसा कर सकता है जो ऐसे प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जो उसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हैः

कठिनाई को दूर करनाः

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश एक की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा

नियत दिन से तीन साल की अवधि।

9. पुनर्गठन अधिनियम, जो नियत दिन से शुरू होना था, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. एस. ओ. 827 (ई), दिनांक 14 सितंबर, 2000 भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण भाग II सेक। 3 ((ii) 1 नवंबर, 2000 को नियत तिथि के रूप में। तदनुसार, 1 नवंबर, 2000 को तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित किया गया और पुनर्गठित राज्य में विभाजित किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य और नया राज्य छत्तीसगढ़। देश के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव आया है। पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य और नए छत्तीसगढ़ राज्य को पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) के अनुसार "उत्तराधिकारी राज्य" के रूप में वर्णित किया गया था। जिन हस्तांतरित क्षेत्रों को छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बनाना था, उनका सीमांकन किया गया था और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट किया गया था। धारा 4 के अनुसार, पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य में धारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा अन्य मौजूदा क्षेत्र शामिल होने थे, यानी वे क्षेत्र जो अब छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा बनेंगे। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2 के खंड (च) में परिभाषित "कानून" अभिव्यक्ति में कोई भी अधिनियम, अध्यादेश, विनियमन, आदेश, अधिसूचना आदि शामिल थे, जो पूर्ववर्ती या एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से में नियत दिन से तुरंत पहले लागू थे। परिभाषा के अनुसार कानून में प्रत्यायोजित कानून और बिक्री कर अधिनियम के तहत जारी छूट अधिसूचना और बिक्री कर अधिनियम के तहत जारी कर से छूट के लिए पात्रता प्रमाण पत्र भी शामिल होगा।

10. पुनर्गठन अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि नियत दिन से संविधान की पहली अनुसूची में प्रविष्टि 25 के बाद शीर्षक "द स्टेट्स", प्रविष्टि 26 को मध्य प्रदेश के ई स्टेट v द्वारा डाला जाएगा।

11. पुनर्गठन की धारा 78 और 79 की व्याख्या करने से पहले जो बिहार की धारा 84 और 85 के समान सामग्री में हैं।गैनाइजेशन एक्ट, 2000, हम स्वर्ण रेखा (ऊपर) के पैराग्राफ 26,8,29 और 30 को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो नीचे दिए गए हैं:

" 26. तब सवाल उठता है कि इसका सही अर्थ क्या है और

अधिनियम की धारा 84 और 85 का आयात?

27. हम पहले अधिनियम की धारा 84 और 85 को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 3 से 6 जो अधिनियम के भाग II का हिस्सा हैं, झारखंड राज्य और बिहार राज्य के रूप में जाने जाने वाले नए राज्यों के गठन का प्रावधान करती हैं। धारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्र झारखंड के नए राज्य का गठन करते हैं और शेष क्षेत्र बिहार राज्य के क्षेत्र के भीतर आते हैं। तथापि, धारा 84 स्पष्ट शब्दों में यह उपबंध करती है कि भाग 2 के उपबंधों से उन क्षेत्रों में कोई परिवर्तन प्रभावी नहीं समझा जाएगा जिन पर नियत दिन से ठीक पहले प्रवृत्त कोई विधि विस्तारित या लागू की गई थी और ऐसी किसी विधि में बिहार राज्य के लिए क्षेत्रीय निर्देश, तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि

अन्यथा किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त, नियत दिन से पहले मौजूदा बिहार राज्य के भीतर के क्षेत्रों के रूप में समझा जाएगा। धारा 85 में यह प्रावधान है कि बिहार या झारखंड राज्य के संबंध में नियत दिन से पहले बनाई गई किसी भी कानून के आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो साल की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है, चाहे वे निरसन या संशोधन के रूप में हों, जो आवश्यक या समीचीन हो, और उसके बाद ऐसी प्रत्येक कानून का प्रभाव इस तरह के अनुकूलन और संशोधनों के अधीन होगा। किसी सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरस्त या संशोधित किए जाने तक। इन खंडों की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है। इन धाराओं में प्रावधान है कि जो कानून अविभाजित बिहार राज्य पर लागू थे, वे अधिनियम द्वारा बनाए गए नए राज्यों पर लागू होते रहेंगे। पूर्ववर्ती बिहार राज्य के विभाजन और नए राज्य झारखंड के निर्माण के बावजूद संचालित होने वाले कानून जारी हैं।

जब तक और जब तक परिवर्तित, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक लागू रहें। यह हमारे सामने विवादित नहीं है और वास्तव में इसे विवादित नहीं माना जा सकता है।

अधिनियम की धारा 2 (च) में "कानून" को दी गई व्यापक परिभाषा के अनुसार बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 7 (3) (ख) के तहत जारी अधिसूचना अधिनियम की धारा 84 और 85 के अर्थ के भीतर कानून है। इस प्रकार, बिहार राजपत्र में 22 12-1995 पर एस. ओ. संख्या 478 वाली अधिसूचना झारखंड राज्य में तब तक जारी है जब तक कि इसे बदला, निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है। धारा 84 के आधार पर, ऐसे किसी भी कानून में क्षेत्रीय संदर्भ

(बिहार राज्य के लिए), जिसका अर्थ नियत दिन से पहले मौजूदा बिहार राज्य के भीतर के क्षेत्रों के रूप में किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। इन दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियत दिन से तुरंत पहले लागू किसी भी कानून में क्षेत्रीय संदर्भों का अर्थ नियत दिन से पहले मौजूदा बिहार राज्य के भीतर के क्षेत्रों के रूप में किया जाना चाहिए। बिहार राज्य के संबंध में उनके आवेदन को सुविधाजनक बनाने के लिए या

झारखंड, उपयुक्त सरकार, उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति से पहले, आदेश द्वारा, कानून के ऐसे अनुकूलन और संशोधन कर सकती है जो वह आवश्यक या समीचीन समझे। निरसन या संशोधन के माध्यम से। जब तक इस तरह के कानून को कानून के अनुसार निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक यह प्रभावी रहेगा। उनके संशोधन या परिवर्तन के बाद, उनका प्रभाव अनुकूलन और किए गए संशोधनों के अधीन होगा। इसलिए, हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि बिहार सरकार की अधिसूचना

अधिनियम की धारा 2 (च) द्वारा परिभाषित। उक्त अधिसूचना इस क्षेत्र को धारण करती है और उन सभी क्षेत्रों पर लागू होती है जिनमें शामिल हैं अविभाजित राज्य बिहार। बिहार और झारखंड राज्यों को इस तरह के अनुकूलन करने की शक्ति दी गई है और

कानून के संशोधन जो वे आवश्यक या समीचीन समझते हैं। यह वे आदेश जारी करने से पहले कर सकते हैं

नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति। इसके बाद

कानून के अनुकूलन और संशोधन, कानून का प्रभाव तब तक प्रभावी होगा जब तक कि कोई सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी ऐसे कानून में और बदलाव, निरसन या संशोधन नहीं करता है।

28. यह पहली बार नहीं है जब अधिनियम की धारा 84 जैसे प्रावधान इस न्यायालय द्वारा व्याख्या के लिए सामने आए हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 88 को भी अधिनियम की धारा 84 के रूप में समान रूप से लिखा गया है। यह प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष कम से कम तीन फैसलों में विचार के लिए आया है जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, अर्थात् पंजाब राज्य बनाम। बलबीर सिंह, शेर सिंह बनाम। फाइनेंशियल कॉम. योजना और ध्यानंद बनाम। भारत संघ। इनमें से पहले मामले में अर्थात पंजाब राज्य बनाम. इस न्यायालय का संबंध एक प्रशासनिक आदेश से था न कि उस कानून से जिससे हम तत्काल मामले में संबंधित हैं। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 88 के साथ-साथ उस अधिनियम की धारा 2 (जी) के तहत कानून की परिभाषा भी देखी गई थी। उस अधिनियम की धारा 2 (जी) ने कानून को उतना व्यापक रूप से परिभाषित नहीं किया जितना कि अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है। यह न्यायालय उच्च न्यायालय से सहमत था कि विचाराधीन विवादित प्रशासनिक आदेश उस अधिनियम की धारा 2 (जी) के अर्थ के भीतर कानून नहीं थे और इसलिए, धारा 88 द्वारा सहेजे नहीं गए थे। हालाँकि, इस न्यायालय ने कहा कि जब संप्रभुता में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह केवल किसी विशेष राज्य के पुनर्गठन द्वारा क्षेत्रों का समायोजन होता है, तो पूर्ववर्ती राज्य की सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक आदेश लागू और प्रभावी और बाध्यकारी बने रहते हैं।

उत्तराधिकारी राज्यों पर तब तक और जब तक कि उन्हें उत्तराधिकारी राज्यों की सरकारों द्वारा संशोधित, परिवर्तित या अस्वीकार नहीं किया जाता है। इस न्यायालय ने कहा कि कोई अन्य दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह केवल नए राज्यों के प्रशासन में अराजकता लाएगा। उनके अधिपत्यों को इस रुख के समर्थन में कोई सिद्धांत नहीं मिला कि पूर्ववर्ती राज्य की सरकार द्वारा दिए गए प्रशासनिक आदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो गए और नए उत्तराधिकारी राज्यों के अस्तित्व में आने पर अप्रभावी हो गए। उनके लॉर्डशिप्स ने एक ऐसे मामले को और अलग किया जहां कोई बदलाव नहीं हुआ था संप्रभुता और केवल एक विशेष राज्य के पुनर्गठन द्वारा क्षेत्रों का समायोजन था, विलय, विजय, विलय या विलय द्वारा एक राज्य के दूसरे राज्य में अवशोषण के मामले से।

एकीकरण। इस न्यायालय द्वारा पहले निर्दिष्ट अन्य दो निर्णयों में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। हमारा विचार है कि बीर सिंह मामले में निर्धारित सिद्धांत समान विधायी प्रावधान के संबंध में इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं और विशेष रूप से तब जब विचाराधीन अधिसूचना परिभाषा के अनुसार कानून है और केवल प्रशासनिक आदेश नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

29. अगला सवाल जो उठता है वह यह है कि क्या उपरोक्त अधिसूचना को झारखंड राज्य द्वारा परिवर्तित या संशोधित किया गया है। हमारे समक्ष यह तर्क देने की कोशिश की गई कि झारखंड राज्य ने 25-8-2001 पर अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की है और,

इसलिए 1995 की औद्योगिक नीति और अधिनियम की धारा 7 (3) (बी) के तहत जारी एस. ओ. संख्या 478 दिनांकित अधिसूचना का झारखंड राज्य में कोई कानूनी बल नहीं होगा। द हाई

स्वर्ण रेखा मामले में अदालत ने मामले के इस पहलू पर विचार किया है और हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। 2001 की औद्योगिक नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दिनांकित 22-12-1995 अधिसूचना को बदल, संशोधित या अस्वीकार करे। यह 15-11-2000 के बाद स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों से संबंधित है और इसलिए, उक्त नीति में जो भी लाभ या प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं, वे नए औद्योगिक इकाइयों पर लागू होते हैं। 15-11-2000 के बाद इकाइयाँ स्थापित की गईं। तत्काल मामले में, हम 15-11-2000 से पहले स्थापित औद्योगिक इकाइयों से चिंतित हैं और जो थीं

वर्ष 1995 की बिहार राज्य की औद्योगिक नीति के तहत छूट प्रमाण पत्र देने के लिए पात्र पाया गया। इसके अलावा, झारखंड राज्य की औद्योगिक नीति उस तारीख से पहले से मौजूद इकाइयों पर लागू नहीं होगी। इन परिस्थितियों में झारखंड सरकार की औद्योगिक नीति, 2001 या झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश में कुछ भी नहीं होने पर अधिसूचना सं। एस. ओ. सं. 478 दिनांक 22-12-1995 को झारखंड राज्य में काम करना जारी रखना चाहिए और संबंधित अपीलार्थी या उत्तरदाताओं को, जैसा भी मामला हो, उक्त अधिसूचना द्वारा परिकल्पित लाभों और प्रोत्साहनों का हकदार ठहराया जाना चाहिए।

2003 के सिविल अपील सं. 3765 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के पक्ष में प्रस्तुत किया गया निवेदन यह है कि - पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा जारी वैधानिक अधिसूचना में केवल अंतर-राज्य बिक्री लेनदेन की परिकल्पना की गई थी, न कि अंतर-राज्य बिक्री लेनदेन की। दो राज्यों के अस्तित्व में आने के साथ, बिक्री कर के भुगतान से छूट के रूप में प्रोत्साहन का दावा उन लेनदेनों के संबंध में नहीं किया जा सकता है जिन्हें अब अंतर-राज्य बिक्री लेनदेन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण अधिनियम की धारा 84 और 85 के प्रावधानों की अनदेखी करता है, जो एक कानूनी कल्पना पैदा करते हैं। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक प्रावधान की व्याख्या करने में एक

कानूनी कल्पना, अदालत को उस उद्देश्य का पता लगाना चाहिए जिसके लिए कल्पना बनाई गई है और ऐसा करने के बाद, उन सभी तथ्यों और परिणामों को मान लेना चाहिए जो मध्य प्रदेश के ई स्टेट के आनुषंगिक या अपरिहार्य परिणाम हैं।

लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

कल्पना को प्रभाव देना। जब कानून यह माँग करता है कि एक काल्पनिक स्थिति को वास्तविक माना जाना चाहिए, तो जब तक ऐसा करने से मना नहीं किया जाता है, तब तक किसी को उन परिणामों और घटनाओं की वास्तविक रूप से कल्पना भी करनी चाहिए जो, यदि अनुमानित स्थिति है।

ऐसा करने के बाद, जब उस स्थिति के अपरिहार्य परिणाम की बात आती है, तो आपको अपनी कल्पना को भ्रमित नहीं करना चाहिए या इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। धारा 84 हमें यह कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य के दो राज्यों में विभाजित होने के बावजूद, नियत दिन से तुरंत पहले लागू कोई भी कानून, क्षेत्रीय होने के बावजूद। उनमें दिए गए संदर्भ, जब तक सक्षम द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किए जाते हैं

विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी का अर्थ नियत दिन से पहले मौजूदा बिहार राज्य के भीतर के क्षेत्रों के रूप में किया जाए। सरल शब्दों में, हालांकि कानून बिहार राज्य को संदर्भित कर सकता है, और हालांकि झारखंड राज्य का निर्माण करके बिहार राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, निर्धारित दिन से पहले लागू कानूनों को उन क्षेत्रों में संचालित करना जारी रखना चाहिए जो पूर्ववर्ती बिहार राज्य का गठन करते थे। यह, निश्चित रूप से, किसी विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधन, परिवर्तन या अस्वीकृति के अधीन है। इसलिए, जिस वैधानिक अधिसूचना पर भरोसा किया गया था, वह उन सभी क्षेत्रों में जारी है जो

इससे पहले बिहार राज्य का गठन किया गया था। धारा 85 के तहत, वे इस तरीके से निरस्त या संशोधित होने तक काम करते रहेंगे।

प्रदान किया गया। स्वाभाविक परिणाम के रूप में, उद्यमी उक्त अधिसूचना में प्रदान किए गए लाभों और प्रोत्साहनों के हकदार हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि धारा 91 के तहत परिकल्पित है, वैधानिक अधिसूचनाएं प्रबल होनी चाहिए और उनसे प्राप्त होने वाले लाभ लाभार्थियों को प्राप्त होने चाहिए। हमें अपने दिमाग को यह कल्पना करके भ्रमित नहीं होने देना चाहिए कि जो पहले एक राज्य था वह अब दो हो गया है और इसके परिणामस्वरूप क्या होगा। पहले अंतर-राज्य बिक्री लेनदेन अब अंतर-राज्य बिक्री लेनदेन हैं। यदि नियत दिन से पहले लागू कोई कानून उसके संशोधन या निरसन के अभाव में प्रभावी होना चाहिए, तो उस कानून के तहत लाभ इस तथ्य के बावजूद प्रवाहित होना चाहिए कि वास्तव में अंतर-राज्य बिक्री लेनदेन अंतर-राज्य बिक्री लेनदेन हो सकते हैं। कानून संबंधित राज्य को स्थिति में बदलाव लाने का अधिकार देता है, यदि वह कानून को संशोधित या संशोधित करके या [2019] एस. सी. आर. में परिवर्तन करके आवश्यक या समीचीन समझता है।

कानून द्वारा इसे निरस्त या संशोधित करना। इसलिए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि रांची में झारखंड का उच्च न्यायालय गलत था।

रिट याचिका को इस आधार पर खारिज करते हुए कि 22-12-1995 की अधिसूचना अंतर-राज्य बिक्री लेनदेन पर लागू नहीं हो सकती है।

30. हमने रतन लाल एंड कंपनी बनाम में श्री राकेश द्विवेदी द्वारा लिए गए निर्णयों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। प्राधिकरण का आकलन करना,

मैसूर राज्य बनाम। पी. बी. हुसैन कुन्ही एंड कंपनी और सी. एस. टी. बनाम मिनर्वा मिनरल्स और हम पाते हैं कि उनमें से कोई भी निर्णय किसी भी तरह से राज्य के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है। निर्णयों में

वे मामले संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों की व्याख्या पर निर्भर थे जो उन प्रावधानों के समान नहीं थे जिनके साथ हम तत्काल अपीलों में संबंधित हैं। 2003 की सिविल अपील संख्या 2450 में, पटना उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर अपीलार्थियों के दावे को खारिज कर दिया है। इसने उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर ध्यान दिया, लेकिन इसे इस आधार पर अलग किया कि मामले में औद्योगिक इकाई झारखंड राज्य में स्थित थी, जबकि लाभ का दावा बिहार राज्य में किया जा रहा था। हमारे पहले के निष्कर्षों को देखते हुए, यह रिट याचिका को अस्वीकार करने के लिए एक प्रासंगिक विचार नहीं होगा। इसके अलावा, यदि इस सिद्धांत को बरकरार रखा जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप मनमाने परिणाम मिलेंगे क्योंकि जिन उद्यमियों की औद्योगिक इकाइयां बिहार राज्य में काम करती हैं, उन्हें झारखंड राज्य में कच्चे माल की खरीद पर बिक्री कर के भुगतान से छूट का लाभ मिलेगा, लेकिन झारखंड राज्य में उनके समकक्ष ऐसे लाभ के हकदार नहीं होंगे। हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि अप्रत्याशित घटना असामान्य स्थितियों को जन्म दे सकती है। ऐसी स्थितियों का सामना करते हुए, विधायिका को उनसे निपटने के लिए उचित तरीके और समाधान खोजने होंगे। जब बिहार राज्य ने वर्ष 1995 में अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की, तो यह अनुमान नहीं लगा सका कि राज्य पांच साल बाद विभाजित हो जाएगा। लेकिन जब राज्य का विभाजन एक वास्तविकता बन गया, तो संसद को दोनों राज्यों में प्रशासन चलाने के लिए उचित प्रावधान करने पड़े। यदि विभाजन के दिन ही लागू कानून समाप्त हो जाते, तो एक अराजक स्थिति पैदा हो जाती क्योंकि नवनिर्मित राज्य बिना कानून वाला राज्य बन जाता। इसलिए, यह है कि अधिनियम की धारा 84 और 85 जैसे प्रावधानों को निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया है, और साथ ही राज्यों को ऐसे संशोधन और अनुकूलन करने के लिए अधिकृत करता है जो हैं -

केवल दो वर्षों के भीतर आदेश जारी करके और उसके बाद सक्षम मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कानून या शक्ति के प्रयोग द्वारा आवश्यक माना जाता है।

लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

प्राधिकरण। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधानों में ऐसे प्रावधानों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए, यह उचित है कि ऐसे विधानों का अर्थ एक नए राज्य के निर्माण से उत्पन्न असामान्य स्थिति के आलोक में लगाया जाना चाहिए और

उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई "।

12. उपरोक्त अनुपात और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 से 80,85 और 86 की व्याख्या पर भरोसा करते हुए, निजी पक्षों/निर्धारिती के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि पुनर्गठन अधिनियम ने छूट के लाभ को वापस नहीं लिया है और अस्वीकार नहीं किया है जो पहले से ही एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बनने वाले पूरे क्षेत्र के संबंध में दी गई थी। पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान "कानून" की रक्षा करते हैं और उसे लागू करते हैं जिसमें नियत दिन पर एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य में लागू छूट अधिसूचना शामिल है। रिलायंस को कानून के अनुकूलन आदेश, 2000 अधिसूचना संख्या पर रखा गया था। एफ 1/17/-2000/C.Tax/वी दिनांक 30 नवंबर, 2002 1 नवंबर, 2000 से प्रभावी है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

" 2. इस आदेश की अनुसूची में निर्दिष्ट समय-समय पर संशोधित कानून, जो राज्य के गठन से ठीक पहले मध्य प्रदेश राज्य में लागू हैं।

छत्तीसगढ़, एतद्वारा विस्तारित है और में लागू होगा

छत्तीसगढ़ राज्य जब तक निरस्त या संशोधित नहीं किया जाता है। इन संशोधनों के अधीन रहते हुए कि "मध्य प्रदेश" शब्दों के लिए सभी कानूनों में "छत्तीसगढ़" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा। 3. अनुसूची में निर्दिष्ट कानूनों के तहत आदेश द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई (किसी भी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, प्रपत्र, विनियमन, प्रमाण पत्र या लाइसेंस सहित) छत्तीसगढ़ राज्य में लागू रहेगी।

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में बिक्री कर अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम शामिल थे। तदनुसार,

कानून आदेश के अनुकूलन में कहा गया है कि शब्द के साथ "मध्य प्रदेश" शब्द के प्रतिस्थापन के रूप में संशोधन के अधीन

" छत्तीसगढ़ "," कानून "लागू होता रहेगा और 11 साल की शेष अवधि के लिए या छूट की मात्रा तक पहुंचने तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा, धारा 80 पुनर्गठन अधिनियम अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण को पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य और नए राज्य छत्तीसगढ़ में अपने आवेदन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से "कानून" को लागू करने का अधिकार देता है, [2019] 18 एस. सी. आर.

इसके पदार्थ को प्रभावित किए बिना, जो इस संबंध में आवश्यक या उचित होगा

न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष मामला। न्यायालय द्वारा प्रावधानों की व्याख्या करते समय इस प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 85 एक अबाधित या अधिस्थापक खंड की प्रकृति में यह आदेश देती है कि किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे। इसलिए, छूट अधिसूचना की व्याख्या दोनों राज्यों यानी पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य और नए छत्तीसगढ़ राज्य में लागू के रूप में की जानी चाहिए जैसे कि एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित नहीं किया गया था। पुनर्गठन अधिनियम के भाग 10 में सामंजस्य स्थापित करने और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 और 79 द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पना को प्रभावी बनाने का यह एकमात्र तरीका होगा। निजी पक्षों/निर्धारिती को दिए गए लाभ के लिए एक काल्पनिक उपाय को शामिल करके धारा 78 को अस्वीकार नहीं किया गया था और पूरी तरह से लागू किया गया था।

13. दूसरी ओर, दोनों राज्यों का कहना है कि नियत दिन से नया राज्य छत्तीसगढ़ आया था।

मोहम्मद महमूद साहब बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य 2, जिसका हम उचित स्तर पर विज्ञापन करेंगे। 14. पक्षों के तर्क पर विचार करने और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78,79,80,85 और 86 के संदर्भ में, हम महसूस करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लिया गया रुख सही है और स्वीकृति के योग्य है। हम पहले ही उपरोक्त प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं और पैराग्राफ 9 और 10 में उनकी आंशिक व्याख्या कर चुके हैं और अब धारा 78 की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

21960 (11) एस. टी. सी. 456 मध्य प्रदेश राज्य v. लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

और पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79। पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 में दो भाग हैं। पहले भाग में कहा गया है कि पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों ने उन क्षेत्रों में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित नहीं किया है जिन पर नियुक्त होने से तुरंत पहले कोई कानून लागू था।

तिथि विस्तारित या लागू होती है। दूसरे शब्दों में, इससे पहले लागू कानून नियत तिथि, जो वर्तमान मामले में 1 नवंबर, 2000 है, उत्तराधिकारी या पुनर्गठित मध्य राज्य पर लागू होती रहेगी।

प्रदेश जैसा कि विभाजन से पहले था। यह स्वाभाविक और सामान्य है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अधिनियमित कानून स्पष्ट रूप से इसके पुनर्गठन/विभाजन के बाद इसका हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों पर लागू होंगे। विभाजन के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्र जो पहले मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा थे, अब नए राज्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन जाएंगे, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कानूनों के अनुप्रयोग को प्रभावित करेगा क्योंकि वे उन क्षेत्रों में निर्धारित तिथि से पहले लागू होते थे जिनके लिए पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के एक हिस्से की आवश्यकता होती थी। धारा 78, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'मानित' शब्द का उपयोग करता है, लेकिन वास्तव में, पहला भाग किसी भी काल्पनिक कल्पना को शामिल/निर्मित नहीं करता है और बल्कि स्पष्ट रूप से अभिधारणा और कथन करता है। हालाँकि, धारा 78 के दूसरे भाग में एक काल्पनिक कल्पना को शामिल किया गया है जब यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में इस तरह के कानून के क्षेत्रीय संदर्भ, यानी मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका और कार्यपालिका द्वारा पहले अधिनियमित कानून।

जब तक सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक विभाजन का अर्थ नियत दिन से पहले मौजूदा मध्य प्रदेश राज्य के भीतर के क्षेत्रों के रूप में किया जाएगा। इसका प्रभाव यह है कि पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अधिनियमित कानून नए राज्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों और पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य पर भी लागू होते रहेंगे, लेकिन उनकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर। द.

एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य में लागू अधिनियम या कानून दोनों राज्यों पर लागू होते रहेंगे, न कि एक या एक ही के रूप में।

अधिनियम या कानून, लेकिन दो अलग-अलग अधिनियमों या कानूनों के रूप में जो दो अलग-अलग राज्यों पर लागू होते हैं। 15. धारा 78 के दूसरे भाग के उद्देश्य के लिए शामिल की गई काल्पनिक धारणा में यह नहीं कहा गया है कि जो क्षेत्र पहले मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा हैं, वे पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बने रहेंगे या उन्हें दूसरे राज्य के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। धारा 78 मे ई अभिनिर्धारित नहि कयल गेल अछि। धारा 78 के संदर्भ में कल्पना को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा विस्तारित नहीं करता है और इसमें ऐसी कोई शर्त शामिल नहीं है। वास्तव में, यह [2019] 18 एस. सी. आर. भी नहीं है।

दूर से देखा गया। बी. एस. गोराया बनाम में यह न्यायालय। चंडीगढ़ 3 के यू. टी. ने पैराग्राफ 6 से 8 में कहा था कि एक डीमिंग प्रावधान उन उद्देश्यों के लिए प्रभावी है जिनके लिए इसे बनाया गया है और अदालत को चाहिए कि

16. पुनर्गठन अधिनियम की धारा 79 में कहा गया है कि पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य की उपयुक्त सरकार और नए छत्तीसगढ़ राज्य, नियत तिथि से दो वर्ष की समाप्ति से पहले, एक आदेश द्वारा, जो आवश्यक या समीचीन हो, निरसन या संशोधन के माध्यम से एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य में अधिनियमित पूर्व कानूनों में ऐसे अनुकूलन या संशोधन कर सकता है। तत्पश्चात, प्रत्येक कानून का प्रभाव सक्षम विधायिका या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे निरसित, संशोधित या संशोधित किए जाने तक किए गए अनुकूलन या संशोधनों के अधीन होगा। उक्त धारा के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि किसी भी कानून के संबंध में 'उपयुक्त सरकार' का अर्थ है संघ सूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में केंद्र सरकार और किसी राज्य को लागू होने वाले किसी भी कानून के संबंध में, राज्य सरकार।

17. धारा 80 के निर्माण या व्याख्या से संबंधित है

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नियत तिथि से पहले बनाए गए कानून। इसमें कहा गया है कि इसके बावजूद कि धारा 79 के संदर्भ में कोई प्रावधान या अपर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है, अदालत, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों की व्याख्या करता है।

कानून को इस तरह से समझा जाएगा कि इसके बिना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तराधिकारी राज्यों में इसे लागू करने में सुविधा हो। पदार्थ को प्रभावित करना। दूसरे शब्दों में, न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण कानूनों की व्याख्या करते समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तराधिकारी राज्यों के संबंध में कानूनों के अनुप्रयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य और उद्देश्य के आधार पर कार्य करेगा।

इस तथ्य के बावजूद कि मध्य प्रदेश राज्यों में लागू कानूनों के संबंध में विधायिका या सक्षम प्राधिकारी और

3 (2007) 6 एस. सी. सी. 397 मध्य प्रदेश राज्य बनाम। लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

छत्तीसगढ़ ने निर्धारित तिथि से दो साल की समाप्ति अवधि से पहले या उसके भीतर कोई कानून पारित नहीं किया है। 18. पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 में कहा गया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान किसी भी चीज के बावजूद प्रभावी होंगे।

किसी अन्य कानून में असंगत। इसलिए, पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर प्रधानता दी गई है।

हालाँकि, इस प्रधानता का उद्देश्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तराधिकारी राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप संविधान द्वारा परिकल्पित कानूनी प्रभाव को नकारना और उससे आगे बढ़ना नहीं है, जिसमें अब से अलग-अलग विधायिका और कार्यपालिका वाली अलग-अलग सरकारें होंगी। 1 नवंबर, 2000 की निर्धारित तिथि को और उसके बाद से छत्तीसगढ़ राज्य और मध्य प्रदेश राज्य के बीच कोई भी व्यापार अंतर-राज्य व्यापार होगा, न कि अंतर-राज्य व्यापार। काल्पनिक और पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधान कहीं भी यह नहीं मानते हैं कि व्यापार दोनों राज्यों के बीच अंतर-राज्य व्यापार नहीं, बल्कि अंतर-राज्य व्यापार बना रहेगा। वास्तव में, उक्त प्रभाव के लिए कोई भी काल्पनिक कल्पना बेकार हो गई होगी।

और यह अनुच्छेद 286 के विपरीत होगा, क्योंकि यह 16 सितंबर, 2016 को संशोधन से पहले था और निम्नानुसार है:

" 286. बिक्री पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध या

राज्य का कोई भी कानून माल की बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाएगा या लागू करने को अधिकृत नहीं करेगा, जहां ऐसी बिक्री या खरीद होती है। होता है

((क) राज्य के बाहर; या

(ख) माल के आयात या निर्यात के दौरान

(2) संसद विधि द्वारा खंड (1) में उल्लिखित किसी भी तरीके से माल की बिक्री या खरीद कब होती है, यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है। (3) राज्य का कोई भी कानून, जहाँ तक वह लागू करता है या अधिकृत करता है,

अधिरोपित करना,
(क) संसद द्वारा कानून द्वारा अंतर-राज्य व्यापार में विशेष महत्व का घोषित माल की बिक्री या खरीद पर कर या

(ख) माल की बिक्री या खरीद पर कर, जो उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड में निर्दिष्ट प्रकृति का कर है।

((घ) अनुच्छेद 366 के खंड (29-क) का,

कर लगाने की प्रणाली, दरों और कर की अन्य घटनाओं के संबंध में ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन होगा जो संसद द्वारा कानून निर्दिष्ट करता है "।

उक्त अनुच्छेद के अनुसार, राज्य 'अंतर-राज्य बिक्री' के कराधान से संबंधित कोई भी कानून बनाने के लिए सक्षम नहीं हैं, एक ऐसी अभिव्यक्ति जो संविधान के संदर्भ में, 'अंतर-राज्य' और 'अंतर-राज्य' बिक्री के बीच के अंतर को समझाते हुए कई निर्णयों का विषय रही है। 'अंतर-राज्य' व्यापार अभिव्यक्ति का विशिष्ट कानूनी अर्थ और अर्थ है। यह माल के हस्तांतरण या आवाजाही को संदर्भित करता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में। इस तरह के लेन-देन, इसके बावजूद कि बिक्री का स्थान अनिवार्य रूप से एक निश्चित स्थान पर होगा, अंतर-राज्य बिक्री या व्यापार हैं न कि अंतर-राज्य बिक्री या व्यापार। इस प्रकार, जब दोनों राज्यों के बीच माल की आवाजाही होती है, तो प्रेषक या प्रेषक को स्वामित्व का हस्तांतरण किए बिना, ऐसे अंतर-राज्य लेनदेन पर लागू प्रासंगिक कानूनों का अनुपालन करना होगा। यह स्थिति अच्छी रहेगी और नए छत्तीसगढ़ राज्य और पुनर्गठित मध्य राज्य के बीच अंतर-राज्यीय बिक्री के संबंध में समान रूप से लागू होगी। प्रदेश और इसके विपरीत। एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति में है। तथ्य यह है कि विभाजन के बाद दो अलग-अलग राज्यों का गठन किया गया था, जो कभी बिक्री कर लगाने के उद्देश्य से एक ही इकाई थे, इसका कोई परिणाम नहीं होगा ताकि दो अलग-अलग राज्यों के कानूनी और संवैधानिक प्रभाव को बाधित किया जा सके।

अंतर-राज्य लेनदेन के अंतर-राज्यीय चरित्र के संबंध में अनुच्छेद 286 का कानूनी प्रभाव बनाया गया था।

19. पुनर्गठन अधिनियम की धारा 86 में कहा गया है कि किसी भी मामले में

उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, राष्ट्रपति, एक आदेश द्वारा, कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है जो आवश्यक और समीचीन हो। हालाँकि, ऐसा आदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हो सकता है। प्रावधान में कहा गया है कि निर्धारित तिथि से तीन साल की समाप्ति के बाद कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

20. रंजन सिन्हा और एक अन्य वी। अजय कुमार विश्वकर्मा

और अन्य, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि संसद को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक संविधान पीठ बनाने का अधिकार है।

4 (2017) 14 एस. सी. सी. 774 द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश v. लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट करके नया राज्य। संविधान के अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 3 के संदर्भ में संसद द्वारा बनाए गए कानून में पूरक,

परिणामी और आनुषंगिक प्रावधान। जब मौजूदा राज्य के क्षेत्र को अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा पुनर्गठित किया जाता है, तो संप्रभुता में कोई बदलाव नहीं होता है और यह केवल क्षेत्रों के समायोजन का मामला है क्योंकि मौजूदा राज्य का हिस्सा बनने वाले क्षेत्रों का कुछ हिस्सा अब नवगठित राज्य का हिस्सा बन जाएगा या एक नए राज्य में विलय हो जाएगा। बाद के मामले में, कानून जो के क्षेत्रों पर लागू थे

पुनर्गठित राज्य नए राज्य के क्षेत्रों पर तब तक लागू होता रहेगा जब तक कि नव निर्मित राज्य मौजूदा और लागू कानूनों को अपनाता या अपनी क्षमता के अधीन संशोधित या निरस्त नहीं करता। यह आयोजित किया गया थाः

" 36. दोहराव की कीमत पर, हम उल्लेख कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बदल, संशोधित, विलय, नए राज्यों का गठन, कम या बढ़ा सकती है। जब संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पुनर्गठन होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में लागू "क्लीन स्लेट" का सिद्धांत लागू नहीं होता है। पुनर्गठित राज्य आमतौर पर तबूल रस के रूप में शुरू नहीं होते हैं, बल्कि वे पहले से मौजूद पूर्ववर्ती राज्यों के उत्तराधिकारी होते हैं। बी. आर. ओ. ए. के तहत, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था और अन्य अलग राज्य 15-11-2000 पर अस्तित्व में आए थे। यदि विभाजन की तारीख को लागू कानून समाप्त हो जाते, तो एक अराजक स्थिति पैदा हो जाती क्योंकि नवनिर्मित राज्य बिना कानून वाला राज्य बन जाता। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, बी. आर. ओ. ए. की धारा 84 और 85 जैसे प्रावधानों को निरंतरता बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया है, और साथ ही राज्यों को ऐसे संशोधन और अनुकूलन करने के लिए अधिकृत किया गया है जो केवल दो साल के भीतर आदेश जारी करके आवश्यक माने जाते हैं।

और उसके बाद कानून द्वारा "।

इस निर्णय ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम से शुरू होने वाले अनुच्छेद 3 के तहत संसद द्वारा पहले किए गए कई कानूनों का उल्लेख किया था।

1956 बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 तक जिसमें वर्तमान मामले की तरह 'कानूनों की क्षेत्रीय सीमा' और 'कानूनों को अनुकूलित करने की शक्ति' शीर्षक के तहत समान प्रावधान थे। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 84 का उल्लेख करते हुए, जिसे पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के रूप में समान रूप से वर्णित किया गया है, इस न्यायालय ने रंजन सिन्हा (उपर्युक्त) मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 29. धारा 84 में दो कानूनी कल्पनाएँ हैं, पहला यह है कि बिहार का पुनर्गठन कानूनों [2019] 18 एस. सी. आर. की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिहार राज्य द्वारा पुनर्गठन से पहले और पुनर्गठन के बाद इसमें शामिल सभी क्षेत्रों के लिए बनाया गया। दूसरे शब्दों में, बिहार द्वारा बनाया गया कानून पुनर्गठन के बाद भी झारखंड राज्य के क्षेत्रों सहित पूर्ववर्ती बिहार राज्य के सभी क्षेत्रों पर लागू होगा। दूसरी कल्पना यह है कि जब तक झारखंड संशोधन या अन्यथा के माध्यम से इसका प्रावधान नहीं करता है, तब तक किसी भी कानून में बिहार राज्य के लिए क्षेत्रीय संदर्भ का अर्थ पुनर्गठन से पहले बिहार के सभी क्षेत्रों से होगा। उदाहरण के लिए, यदि बिहार ने पूरे बिहार के लिए एक कानून बनाया था, तो यह बिहार और झारखंड पर तब तक लागू होगा जब तक कि नए राज्य द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जाता है। जिन क्षेत्रों में उक्त अधिनियम लागू किया गया है, उनमें वे क्षेत्र भी शामिल होंगे जो झारखंड में शामिल थे। धारा 85 एक सक्षम प्रावधान है जो दोनों राज्यों को कानून के अनुकूलन और संशोधन करने का अधिकार देता है।

नवगठित राज्य पर लागू कानून में संशोधन।

पुनर्गठन अधिनियम (ओं) में समान रूप से ऐसे प्रावधान हैं जो इस हद तक एक कानूनी कल्पना पैदा करते हैं कि राज्य का पुनर्गठन पुनर्गठन से पहले और बाद में भी इसके भीतर शामिल सभी क्षेत्रों में कानूनों की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करेगा। हालाँकि, यह एक अन्य उक्ति/नियम के अधीन है कि क्षेत्रों पर पहले से लागू मौजूदा कानून नए राज्य पर तब तक लागू होंगे जब तक कि नया राज्य निरसन या संशोधन के माध्यम से कानून के अनुकूलन या संशोधन का प्रावधान नहीं करता है। इस तरह के अनुकूलन और संशोधनों के लिए प्रदान की गई समय अवधि आम तौर पर दो साल होती है। नियत दिन से, अर्थात उस दिन से जब तक केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में क्षेत्रों के हस्तांतरण द्वारा दोनों राज्यों के निर्माण का प्रावधान करती है।

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश v. लाफार्ज डीलर्स एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

21. एम. पी. वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम में संवैधानिक पीठ का निर्णय। आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों ने आंध्र राज्य में व्यापार करने वाले व्यापारियों के पक्ष में बिक्री कर लगाने से आंध्र राज्य को रोकने के लिए मद्रास शहर में व्यापार करने वाले विक्रेताओं की कई दलीलों की जांच की और उन्हें खारिज कर दिया। आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 53 की सही व्याख्या के संबंध में उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि हालांकि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आंध्र राज्य एक अलग राज्य था, लेकिन कानूनों के प्रवर्तन के लिए जैसा कि वे विभाजन/विभाजन की तारीख पर थे, आंध्र राज्य को मद्रास राज्य का एक हिस्सा माना गया था। इस तर्क को यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि आंध्र और मद्रास राज्य दो अलग-अलग राज्य थे और दो अलग-अलग लेकिन समान अधिनियमों द्वारा शासित थे। तदनुसार, जब लागू बिक्री कर अधिनियम में धागे की क्रमिक बिक्री पर एकल शुल्क का प्रावधान किया गया था, तो यह मद्रास या आंध्र राज्य में बिक्री के लिए लागू होगा, न कि अन्य राज्य या अंतर-राज्य बिक्री में। धारा 53 में प्रावधान किया गया था कि उन क्षेत्रों में मौजूद कानून जो थे

गठित किया गया और आंध्र राज्य का हिस्सा बन गया था, मद्रास राज्य द्वारा अधिनियमित कानूनों द्वारा शासित होता रहेगा। धारा 53 के संदर्भ में, मद्रास राज्य द्वारा अधिनियमित कानून पहले की तरह काम करते रहेंगे। इसने यह निर्धारित नहीं किया था कि राज्य एक बने रहेंगे। स्पष्टता और सुविधा के लिए, हम उक्त निर्णय के अनुच्छेद 60 को पुनः प्रस्तुत करेंगे, जो निम्नानुसार हैः

" 60. (VI) याचिकाकर्ताओं द्वारा आग्रह किया गया एक अन्य तर्क यह है कि बिक्री पर आंध्र राज्य द्वारा प्रस्तावित कर लगाया जाना है।

आंध्र राज्य में विक्रेताओं को उनके द्वारा धागे का देना अवैध है क्योंकि मद्रास अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत, जहां धागे की लगातार बिक्री होती है, कर केवल एक ही बिंदु पर लगाया जा सकता है, और चूंकि मद्रास सरकार ने पहले ही उस राज्य के भीतर बिक्री पर कर लगा दिया था, इसलिए आंध्र राज्य द्वारा उसी माल पर दूसरा शुल्क अनाधिकृत है और इसलिए मूल्यांकन के लिए संकटग्रस्त कार्यवाही अक्षम है। यह तर्क स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। जब मद्रास अधिनियम सूत की क्रमिक बिक्री पर एकल शुल्क का प्रावधान करता है, तो यह केवल मद्रास राज्य में बिक्री पर लागू हो सकता है, क्योंकि यह होगा

मद्रास विधानमंडल के लिए किसी अन्य राज्य में कार्य करने के लिए कानून बनाने में अक्षम। लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 53 अपनी सही व्याख्या पर यह अधिनियमित करती है कि हालांकि राजनीतिक

इस उद्देश्य के लिए आंध्र को एक अलग राज्य माना जाना चाहिए, कानूनों के प्रवर्तन के लिए जैसा कि वे उस तारीख को थे, इसे मद्रास राज्य का हिस्सा माना जाना चाहिए। हम इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। हमारी राय में, धारा 53 केवल यह प्रावधान करती है कि आंध्र राज्य में गठित किए गए क्षेत्रों में मौजूद कानूनों को पहले की तरह ही काम करना जारी रखना चाहिए। वास्तव में, 12 नवंबर, 1953 को जारी एक अनुकूलन आदेश द्वारा, मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम में आंध्र का नाम भी मद्रास के स्थान पर रखा गया था। इस तर्क में कोई सार नहीं है।

22. पुनर्गठन अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, अब हम निर्णय के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करेंगे।

श्री पीरा मोहम्मद महमूद साहब बनाम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ। आंध्र प्रदेश राज्य (ऊपर), जिसने मद्रास राज्य के पुनर्गठित मद्रास राज्य और नए आंध्र राज्य में विभाजन के बाद की स्थिति से भी निपटा था। समान प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 में कहा गया है कि गिने गए क्षेत्र, नियत तिथि यानी 1 अक्टूबर, 1953 से, मद्रास राज्य के क्षेत्र नहीं रहेंगे और नए आंध्र राज्य के क्षेत्र होंगे। इसके अलावा, आंध्र राज्य के संविधान से पहले के क्षेत्रों में लागू कानून इसके निर्माण के बाद भी लागू रहेंगे। तदनुसार, मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939 नामक एक अधिनियम नए आंध्र राज्य पर लागू होता रहेगा और उक्त अधिनियम में उपयोग किए गए शब्द 'मद्रास' को 'आंध्र' शब्द से प्रतिस्थापित/प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस हद तक, आंध्र राज्य अधिनियम की धारा 53, जो पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के समान है, 2000 , घोषणा करता है कि आंध्र राज्य के उदय के बावजूद, लागू कानूनों में कोई बदलाव नहीं होगा। यह प्रावधान किसी भी अंतराल से बचने के लिए किया गया था और इसलिए, मद्रास और आंध्र राज्यों में कानूनों का एक ही समूह लागू रहेगा।

23. हमने स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल्स प्राइवेट के मामले में फैसले के प्रासंगिक हिस्सों का हवाला दिया है। लिमिटेड (ऊपर) और कोई नहीं है

पैराग्राफ 26,27 और 28 में उल्लिखित उक्ति से सहमत होने में कठिनाई, लेकिन पैराग्राफ 29 में दर्ज अनुपात से सहमत होना मुश्किल है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम की धारा 84 और 85 का प्रभाव, 2000 यह नए राज्य झारखंड में एकीकृत राज्य बिहार द्वारा अधिनियमित कानूनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए था, जो उन क्षेत्रों के हस्तांतरण द्वारा बनाए गए थे जो पहले बिहार राज्य का हिस्सा थे। एक काल्पनिक कथा को शामिल करने वाले इन खंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नया द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश v.

लाफार्ज डीलर्स

एसोसिएशन [संजीव खन्ना, जे.]

झारखंड राज्य पूर्व-विद्यमान द्वारा शासित होता रहेगा।

कानून, अन्यथा, एक अव्यवस्थित और अराजक स्थिति होगी जहाँ नया राज्य किसी भी कानून द्वारा शासित नहीं होगा। यह बिहार की धारा 84 द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पना का वास्तविक प्रभाव है।

पुनर्गठन अधिनियम, 2000, अर्थात राज्य का पुनर्गठन, पुनर्गठन से पहले और बाद में भी राज्य में शामिल सभी क्षेत्रों में मौजूदा कानूनों की प्रयोज्यता को प्रभावित नहीं करेगा। उक्त कल्पना यह नहीं मानती है और इसे यह कल्पना करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है कि बिक्री लेनदेन के उद्देश्य से या यहां तक कि अन्य उद्देश्यों के लिए, नए राज्य का एक अलग राज्य के रूप में कोई राजनीतिक और संवैधानिक अस्तित्व नहीं था और जब तक एक नया कानून लागू नहीं किया गया था, तब तक दोनों राज्यों को एक राजनीतिक राज्य के रूप में माना जाना था जैसा कि पुनर्गठन से पहले था। यह है बिक्री

वे लेन-देन जो अब तक एकीकृत बिहार राज्य के भीतर अंतर-राज्य बिक्री थे, दो नए राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अंतर-राज्य लेनदेन बन जाएंगे। प्रावधानों में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि नए राज्य के निर्माण के बावजूद इस तरह के लेनदेन को राज्य के भीतर लेनदेन के रूप में माना जाता रहेगा।

24. स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल्स प्राइवेट लिमिटेड में पैराग्राफ 30 में दिए गए तर्क के संबंध में। लिमिटेड (ऊपर), हम स्वीकार करेंगे

कि एक नए राज्य का निर्माण एक अप्रत्याशित घटना थी और दे सकती थी

असामान्य परिस्थितियों में वृद्धि, लेकिन यह दो उत्तराधिकारी राज्यों के बीच अंतर-राज्य बिक्री को अंतर-राज्य बिक्री के रूप में मानने का आधार और कारण नहीं हो सकता है। यह संविधान और यहां तक कि संविधि यानी पुनर्गठन अधिनियम के विपरीत होगा। जब भी एक नया राज्य बनाया जाता है, तो कठिनाइयाँ होती हैं और मुद्दे उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन्हें संवैधानिक प्रावधानों और कानून के मापदंडों के भीतर निपटना पड़ता है, न कि संसद के जनादेश को नकारकर जिसने संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में नया राज्य बनाया है। नए राजनीतिक राज्य के निर्माण को पूर्ण कानूनी प्रभाव दिया जाना चाहिए। इसलिए हम स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल्स प्राइवेट लिमिटेड में अनुच्छेद 29 और 30 में दर्ज विपरीत टिप्पणियों और अनुपात को सम्मानपूर्वक खारिज कर देंगे। लिमिटेड (ऊपर) ऊपर स्पष्ट और समझाई गई कानूनी स्थिति के आलोक में।

25. अंत में, हमें निजी पक्षों/निर्धारिती द्वारा की गई प्रस्तुतियों में से एक पर ध्यान देना चाहिए कि छूट खंडों के तहत भी

अंतर-राज्यीय लेन-देन कुछ लाभों के हकदार थे। यह तर्क रिट याचिका में या हमारे सामने दलीलों में भी नहीं उठाया गया था और पहली बार आग्रह किया गया है और तर्क दिया गया है। हम इस विवाद पर टिप्पणी नहीं करना चाहते और इस पर निर्वात में फैसला नहीं करना चाहते हैं और इसे निजी लोगों के लिए खुला छोड़ देते हैं। उचित [2019] 18 एस. सी. आर. में अधिकारियों के समक्ष इस याचिका को उठाने के लिए पक्षकार/निर्धारिती।

कानून के तहत कार्यवाही। दूसरे शब्दों में, अधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या अंतर-राज्य लेनदेन किसी लाभ के हकदार थे और यदि ऐसा है, तो क्या इसमें निजी पक्ष/निर्धारिती इस तरह के लाभ का दावा करने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और पूरा करते हैं। हमने इस विवाद पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह बताया गया कि कई मामलों में निर्णय आदेश पारित किए जा सकते हैं और निजी पक्षों/निर्धारिती द्वारा दायर रिट याचिकाओं को देखते हुए अपीलों को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

उन्हें और वर्तमान कार्यवाही। जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, कुछ निजी पक्ष/निर्धारिती उच्च न्यायालय के समक्ष सफल हुए थे। हम करेंगे।

यह देखते हुए कि यह निजी पक्षों/निर्धारिती के लिए कानून के अनुसार निर्णय आदेशों को चुनौती देने के लिए खुला होगा और यदि आवश्यक हो, तो सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 14 के तहत आवेदन दायर करके या अन्य

उस समय के अपवर्जन के लिए राज्य अधिनियमों के लागू प्रावधान, जिसके दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित रही है।

और यह न्यायालय। ऐसे मामलों में, अधिकारियों के लिए ऐसी समय अवधि को बाहर करना उचित होगा क्योंकि हम स्वर्ण रेखा कोक्स एंड कोल्स प्राइवेट लिमिटेड में पैराग्राफ 29 और 30 में निर्धारित अनुपात को खत्म कर रहे हैं। लि.

(ऊपर)।

26. तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका से उत्पन्न अपीलें

(सिविल) सं। 10520 2013 के 1334,10165,23297,2014 के 23592,2016 के 6729 और 16550 मध्य प्रदेश राज्य और राज्य द्वारा पसंद किए गए छत्तीसगढ़ की अनुमति है और सिविल अपील संख्या। 460 , 461 , 7073 निजी पक्षों/निर्धारिती द्वारा 2005 की धारा और 2007 की धारा 2343 को उपरोक्त टिप्पणियों, निष्कर्षों और निर्देशों के संदर्भ में खारिज कर दिया जाता है।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस